



Neutral Citation No. - 2026:AHC:19787

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1150/2026

प्रिंसी सिंह.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता:राम प्रसाद दुबे

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता:मुख्य स्थायी अधिवक्ता, महेंद्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम प्रसाद दुबे, तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार, और आयोग की ओर से श्री अवनीश त्रिपाठी को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि रिट याचिकाकर्ता को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा-2026 में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाए। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, इसमें एक विसंगति आ गई थी, जिसका कारण यह था कि रिट याचिकाकर्ता ने स्वयं को 'सामान्य/DFP' (General/DFP) श्रेणी का दर्शा दिया था, जबकि रिट याचिकाकर्ता वास्तव में 'सामान्य' श्रेणी से संबंधित है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि रिट याचिकाकर्ता ने दिनांक 16.01.2026 को सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (जो कि दूसरे प्रतिवादी हैं) के समक्ष एक अपील प्रस्तुत की है; यह अपील 'पेपर बुक' के पृष्ठ 28 पर संलग्न है। उन्होंने अपनी राहत की मांग को केवल इस अपील के निस्तारण तक ही सीमित रखा है।
3. आयोग के अधिवक्ता श्री त्रिपाठी ने दिनांक 28.01.2026 को प्राप्त निर्देशों के आधार पर निवेदन किया कि उक्त अपील को अस्वीकृत कर दिया गया है, और इस अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाले आदेश को एक मुद्रित प्रति कल दोपहर 12:00 बजे तक अर्थात् दिनांक 30.01.2026 तक रिट याचिकाकर्ता को उपलब्ध करा दी जाएगी।
4. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
5. श्री राम प्रसाद दुबे, आयोग के अधिवक्ता को अपना WhatsApp नंबर उपलब्ध कराएंगे, ताकि आयोग के अधिवक्ता उक्त आदेश की सूचना अपने मुवक्किल (याचिकाकर्ता) तक पहुंचा सकें।
6. आज प्रस्तुत किए गए निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

29 जनवरी, 2026

राजेश

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”